

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची-834002

पटना-15, दिनांक 04/01/23

विषय :- भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित परियोजना में 3.2213 हे० वन भूमि का अपयोजन तथा 276 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	मिथिला	66.45-89.21 = 22.76	1.7519	22	166	0.3
2	समस्तीपुर	47.00-66.45 = 19.45	1.4694	260	110	0.3
कुल			3.2213	282	276	

वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुसार कुल-276 वृक्षों के पातन एवं 282 वृक्षों का Translocation प्रस्तावित है। प्रस्ताव में उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका Translocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं समस्तीपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-43/2013-FC दिनांक-26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण-पत्र के ही बिना प्रस्ताव पर स्टेज-1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 3.2213 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 8.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को जमुई के झाझा प्रक्षेत्र अंतर्गत मंझगाय PF को चिन्हित करते हुए रु० 33,94,917/- (तीतीस लाख चौरानवे हजार नौ सौ सत्रह रुपये) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र-II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र-III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 3.2213 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 30,85,297/- (रुपये तीस लाख पचासी हजार दो सौ संतानवे) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 3.2213 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जमुई वन प्रमंडल के झाझा प्रक्षेत्र अंतर्गत मंझगाय PF को को चिन्हित करते हुए रु० 33,94,917/- (तेतीस लाख चौरानवे हजार नौ सौ सतरह रुपये) मात्र प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-65/2022.....11(30)/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....04/01/23

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/ परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-65/2022.....11(30)/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....04/01/23

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

5 4/1/23
(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 3.2213 ha. forest land for construction of Four Lane green field alignment from Balbhadrapur-Bela-Nawada under Darbhanga and Samastipur Districts may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-..... 4/1/2023

Place:-..... PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:-

अपर सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना